संख्या-2/2017/आ0मि0-10/71-आयुष-2-2017-142/2016

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2017

विषय:- राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2016-17 में अनुमोदित 10 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से 03 चिकित्सालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-501/84/मि0नि0/2016-17, दिनांक 03.02.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सखौला, पीलीभीत, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय विथौरा, पीलीभीत एवं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय राजपुर कलान, बरेली के उच्चीकरण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ द्वारा प्रति चिकित्सालय गठित आगणन रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) कुल रू0 45.00 लाख पर चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित 5.00 करोड तक की योजनाओं/परिजनाओं के परीक्षण /मूल्यांकन हेतु अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 45.00 लाख का आगणन मूल्यांकित किया गया। तत्क्रम में विचारोपरान्त प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 45.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निवर्तन पर राज्य आयुष सोसाइटी के बचत खाते मे रखी गयी धनराशि मे से प्रथम किस्त के रूप में रू0 22.50 लाख का व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमित्ता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0एल0/बैक खाते में नही रखा जायेगा।
4- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दि्रावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मे किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रश्नगत स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस परियोजना पर आगामी स्वीकृति तभी प्रदान की जाएगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमामपत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायगा।

7- प्रश्नगत कार्य में सुसंगत नियमों का अनुपालन मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसाइटी के बचत खाते में मिशन निदेशक राज्य आयुष सोसाइटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-3-2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या- 2 /2017/आ0मि0-10(1)/71-आयुष-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
7- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।